बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0– 17 /2024

सत्र 2023–25 में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में इंटरमीडिएट (11वीं कक्षा) में नामांकित नियमित एवं स्वत्रंत कोटि के विद्यार्थियों के लिए सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरे जाने एवं शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा करने हेतु दिनांक 22.01.2024 तक अवधि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट/+2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित विद्यार्थियों, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 416/2023, पी0आर0 444/2023 एवं पी0आर0 461/2023 के द्वारा इन्टरमीडिएट सत्र 2023–25 के लिए 11वीं कक्षा में कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विधिवत् नामांकित नियमित कोटि के तथा कला एवं वाणिज्य संकाय में स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थियों का संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से **दिनांक 24.11.2023 से 13.01.2024 तक** ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था।

2. उक्त अवधि में सूचीकरण से वंचित छात्र/छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए सूचीकरण आवेदन भरे जाने एवं शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा करने हेतु **दिनांक 22.01.2024** तक अवधि विस्तार किया जाता है। इस विस्तारित अवधि में मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधान समिति के वेबसाइट **seniorsecondary.biharboardonline.com** से अपने यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए सूचीकरण से वंचित विद्यार्थियों का ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भर सकते है एवं शुल्क जमा कर सकते हैं। विलम्ब शुल्क के साथ शुल्क विवरण निम्नवत हैः–

मद			निर्धारित शुल्क	विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित शुल्क
सूचीकरण आवेदन शुल्क (सभी कोटि के छात्र/छात्राओं के लिए)			60/–	60/–
ऑनलाइन शुल्क रू० 55/– (पचपन) में से रू० 30/– (तीस) शिक्षण संस्थान द्वारा रखा जाएगा, जिसका उपयोग शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा विद्यार्थी के ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने तथा उन्हें डमी/मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कराने के मद में किया जाएगा।			55/–	55/–
नियमित कोटि एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए	(i)	सूचीकरण शुल्क	400/–	550/–
	(ii)	इमीग्रेशन शुल्क	200/–	350/–
स्वतंत्र कोटि के लिए	(i)	सूचीकरण शुल्क	400/–	550/–
	(ii)	इमीग्रेशन शुल्क	200/–	350/–
	(iii)	अनुमति शुल्क	400/–	550/–
नियमित कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क			**515/–**	**665/–**
स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क			**915/–**	**1215/–**
इमीग्रेशन शुल्क सिर्फ अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वां उत्तीर्ण छात्र/छात्रा के लिये अनुमान्य है। अन्य बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) भी अपने शिक्षण संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।				
अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण नियमित कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क			**715/–**	**1015/–**
अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क			**1115/–**	**1565/–**

3. उक्त हेतु समिति के पोर्टल पर दो अलग–अलग प्रकार के सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किए गए हैं :–

(i) नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें खण्ड 'A' एवं खण्ड 'B' है। खण्ड 'A' में क्रमांक 1 से 16 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो OFSS प्रणाली से नामांकन हेतु उसके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर है। उसमें विद्यार्थी द्वारा कोई छेड़–छाड़/परिवर्तन नहीं किया जाना है। विद्यार्थी द्वारा मात्र खण्ड 'B' में क्रमांक 17 से 33 तक में अंकित विवरणों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है।

(ii) स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से सभी विवरणों को भरा जाना है।

4. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध विद्यार्थियों का सूचीकरण/अनुमति आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा एवं निर्धारित शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा किया जाएगा। जिन शिक्षण संस्थानों की मान्यता/सम्बद्धता रद्द/निलम्बित/वापस ले ली गई है, वैसे शिक्षण संस्थानों के सूचीकरण/अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा।

5. विगत कई वर्षों में कुछ विद्यार्थियों का सूचीकरण/परीक्षा आवेदन भरने के उपरांत निर्धारित शुल्क कतिपय शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा जमा नहीं करने के कारण कई विद्यार्थियों का परीक्षाफल काफी अधिक समय तक लंबित रहता है, जो उचित नहीं है। इसलिए इस वर्ष से यह प्रावधान किया गया है कि जितने विद्यार्थियों का सूचीकरण आवेदन भरा जाएगा, उतने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा प्रथमतः जमा किया जाएगा। इसके उपरांत ही सूचीकरण आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

6. राज्य के वैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जहाँ नामांकन OFSS के माध्यम से नहीं हुआ है किन्तु विद्यार्थियों के नामांकन का अपडेशन समिति के पोर्टल पर किया गया है, के विद्यार्थियों का ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन प्रपत्र भी उक्त अवधि में भरा जाएगा।

7. सत्र–2023–25 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का उन्हीं विषय के साथ परीक्षा आवेदन एवं शुल्क स्वीकार किया जाएगा, जिन विषयों के साथ विद्यार्थी सूचीकृत होंगे। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कि सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरते समय कोई त्रुटि न हो।

8. अतः अनुरोध है कि विशेष प्राथमिकता देते हुए पूरी सतर्कता के साथ सत्र–2023–25 के सही अभ्यर्थित्व वाले विद्यार्थियों के ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरवाने एवं शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा करवाने की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

9. विज्ञप्ति संख्या पी0 आर0 416/2023 की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

10. ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाइन नं0–0612–2230039 अथवा E-mail Id: reg.bsebhelpdesk@gmail.com पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

ह०
13.1.24

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक :–BSEB(SS)/ KEN/...59...../2024 पटना, दिनांक :–...13.../...01..../2024

प्रतिलिपि : 1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। यह भी अनुरोध है कि निदेशानुसार विज्ञापन प्रसारण की सूचना राज्य के सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालयों को ई–मेल/WhatsApp के द्वारा प्रेषित किया जाए। इसकी सूचना विद्यालय प्रधान एवं संबधित विद्यार्थियों को SMS के द्वारा भी उपलब्ध करायी जाए। यह सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाए। तद्नुसार सभी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

2. मे० केल्ट्रॉन प्रा० लि० को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार सूचीकरण/अनुमति आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा करने हेतु निर्धारित समय तक पोर्टल चालू रखने की सभी प्रकार की व्यवस्था

सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन +2विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस लिया जा चुका है, वैसे +2 विद्यालयों से कदापि सूचीकरण/अनुमति आवेदन नहीं भरा जा सके, इसके लिए अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

3. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को वर्णित आलोक में सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि अधीनस्थ सभी +2 विद्यालयों के प्रधान को सूचीकरण/अनुमति आवेदन विस्तारित अवधि (दिनांक **22.01.2024** तक) में भरने हेतु दैनिक वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पष्ट रूप से निदेशित करने की कृपा की जाए।

4. शाखा प्रबंधक, Axis Bank, Patliputra Colony Branch, पटना एवं शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक, बुद्धमार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. उप निदेशक, आई0टी0/सिस्टम एनालिस्ट, आई०टी० (उ०मा०) को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि अपने निगरानी एवं पर्यवेक्षण में उक्त के आलोक में आवश्यक व्यवस्था कराना सुनिश्चित की जाय तथा इसका निरंतर अनुश्रवण किया जाय ताकि किसी प्रकार की त्रुटि एवं विसंगति न हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन +2 विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस लिया जा चुका है, वैसे +2 विद्यालयों से कदापि सूचीकरण/अनुमति आवेदन नहीं भरा जा सके, इसलिए निदेशक (शैक्षणिक) से समन्वय कर ऐसे +2 विद्यालय/महाविद्यालयों की अद्यतन सूची अनिवार्य रूप से प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह भी अनुरोध है कि छात्र/छात्रा, मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय/महाविद्यालयों के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0), जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के जानकारी हेतु इस विज्ञप्ति की प्रति समिति के निर्दिष्ट BSEB Mobile App एवं समिति के वेबसाइट पर डाल दिया जाय ताकि सभी संबंधितों द्वारा अपने स्तर पर इस निमित्त आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

यह भी अनुरोध है कि निदेशानुसार विज्ञापन प्रसारण की सूचना राज्य के सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालयों को ई–मेल/WhatsApp के द्वारा प्रेषित किया जाए। इसकी सूचना +2 विद्यालय/महाविद्यालयों प्रधान एवं संबधित विद्यार्थियों को SMS के द्वारा भी उपलब्ध करायी जाए। यह सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाए। तद्नुसार सभी आवश्यक कार्रवाई करते हुए जन संपर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

6. सभी उप सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

7. निदेशक (शैक्षणिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8.. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी, निदेशक, आई0टी0 तथा परीक्षा नियंत्रक (मा०) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 13.1.24

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

13.01.24 13/01/24

D:\2025 (2023-25)\Registration 2023-25\Vigyapti registration 2023-25 date 13-01-2024.doc